राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : प्रशि./जीएनएम/एग-133/2025/245 दिनांक : 20/6/25

प्रधानाचार्य,
समस्त, निजी नर्सिंग संस्थान,
राजस्थान।

विषय : निजी नर्सिंग संस्थाओं में रिक्त रही सीटों पर अन्तिम कॉउन्सलिंग करने हेतु।

उपरोक्त विषयान्तर्गत जीएनएम प्रशिक्षण सत्र 2024–25 की रिक्त रही सीटों पर एक बारीय शिथिलन देते हुए संस्थानों द्वारा स्वंय के स्तर से अन्तिम कॉउन्सलिंग में दिनांक 23.06.2025 से 30.06.2025 तक छात्रो को प्रवेश दिया जाना है, इस हेतु समस्त निजी नर्सिंग संस्थानों को निम्न वर्णित मापदण्डों के अनुसार स्वंय के स्तर से छात्रों को प्रवेश दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। जिसके मापदण्ड निम्नानुसार होंगे :–

1. निजी नर्सिंग संस्थान को जीएनएम सत्र 2024–25 सत्र में **अभ्यार्थीयों के मेरिट** अनुसार रिक्त रही सीटो पर संस्थान आंवटित किया जावेगा।
2. जीएनएम प्रशिक्षण सत्र 2024–25 की अंतिम कॉउन्सलिंग हेतु **जीएनएम पोर्टल पर** सभी जीएनएम प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से अभ्यार्थीयों का संपूर्ण विवरण मय दस्तावेजो की छांया प्रति के साथ अपलोड किया जाना है।
3. अभ्यार्थी जीएनएम प्रशिक्षण हेतु एक ही संस्थान में आवेदन करने हेतु योग्य होगा।
4. जीएनएम प्रशिक्षण सत्र 2024–25 की विज्ञप्ति के मापदन्डों के अनुसार ही सर्वप्रथम सामान्य, अन्य पिछडा वर्ग, (**OBC**) अति पिछडा वर्ग (**MBC**) एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (**EWS**) के अभ्यर्थी को 220/– रूपये तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी को 110/– रूपये की फीस सम्बधित संस्थान को जमा कराना अनिवार्य है। साथ ही समस्त अभ्यर्थियों द्वारा राशि 500/– रूपयें काउंसलिंग फीस सम्बधित संस्थान को जमा करवाना अनिवार्य है। उक्त राशि संबधित संस्थान द्वारा आरएनसी के खाते में जमा करना होगा । पूर्व में आवेदन किये गये अभ्यार्थीयों से आवेदन राशि नहीं ली जावेगी।
5. अंतिम कॉउन्सलिंग में दिसम्बर 2024 तक के 12वीं उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही सम्मिलित होगें।
6. अभ्यर्थियों के दस्तावेज इत्याद्वि की पूर्ण जॉच सम्बधित संस्थान द्वारा की जावेगी।
7. संस्थान द्वारा चयनित अभ्यर्थी प्रशिक्षण राशि जमा करवाकर संबंधित संस्थान में प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे।
8. अभ्यार्थी विज्ञप्ति के मापदण्डों के अनुसार ही आवेदन करने हेतु पात्र होगा एवं समस्त संस्थान विज्ञप्ति के मापदण्डों के अनुसार ही अभ्यार्थीयों को प्रवेश देने की प्रकिया संपादित करेगें।

इस हेतु निजी नर्सिंग संस्थानों को पुनः निर्देशित किया जाता है कि बिन्दु सं0 4 में वर्णित फीस संबंधी मापदण्डों की पालना कर निर्धारित फीस राशि रजिस्ट्रार, राजस्थान नर्सिंग कौंसिल, जयपुर को अपने स्तर से भिजवाये, एवं की गई कार्यवाही से निदेशालय को भी अवगत करावें। फीस राशि रजिस्ट्रार, राजस्थान नर्सिंग कौंसिल, जयपुर को अप्राप्त होने पर संबंधित संस्थान के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

उक्त स्वीकृति सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(राकेश कुमार शर्मा)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

क्रमांक : प्रशि./जीएनएम/जी–133/2025/245 दिनांक : 20/6/25

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

01. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर को उनके आई.डी क्रमांक 757 दिनांक 19.06.2025 के संदर्भ में।
02. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर को उनके आई. डी क्रमांक : 1151 दिनांक 18.06.2025 के संदर्भ में।
03. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–3) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
04. रजिस्ट्रार, राजस्थान नर्सिंग कौंसिल, बी–39, सरदार पटेल मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर।
05. जैनिथ आई.टी. एण्ड इन्फा सोल्युशन प्राईवेट लिमिटेड, जयपुर।
06. प्रभारी, सर्वर कक्ष, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र को आज ही विभागीय वेब साईट पर जीएनएम प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सत्र 2024–25 में अपलोड करने का श्रम करे।

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये,
राजस्थान, जयपुर

Scanned with OKEN Scanner